

06.08.2020 वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वादीगण नें लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा कर लिया है। वादीगण इस वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः पत्रावली को पेशी में लिया जाकर दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वाद पत्र को वादीगण के निवेदन पर वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



राजेश कुमार

फिरोज

गुणेश

दाज